(179)

संख्या- /X-2-2012-12(13)/2011

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 फरवरी, 2012

विषयः-अनुदान सं0-27 में वन विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि पुनर्विनियोग सहित वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक नि0-1380/3-2(आयोजनेत्तर) दिनांक 21 फरवरी, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में संलग्न बी0एम0-15 प्रारूप पर अंकित विवरणानुसार ₹417.00 लाख का पुनर्विनियोग करते हुए ₹4,17,00,000/- (₹चार करोड़ सत्रह लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय उसी कार्य हेतु किया जाये, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य उपयोग हेतु न किया जाय.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
7. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस समबन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः...2

8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
9. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
10. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
12. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-00-सामान्य अधिष्ठान हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामें डाला जाएगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	योजना का नाम/मान मद	आय-व्ययक प्राविधान (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित)	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	अवशेष बजट	वित्तीय स्वीकृति का वर्तमान प्रस्ताव	अभ्युक्ति
	03-00 सामान्य अधिष्ठान					
1	01- वेतन	1100000	1100000	0	41700	(+)41700 पुनर्विनियोग
	योग-	**1100000**	**1100000**	**0**	**41700**	

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ चार करोड़ सत्रह लाख मात्र)

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-233(NP)/XXVII(4)/2012, दिनांक 19 मार्च, 2012 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं.

भवदीय,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः...3

संख्या-553 (1)/X-2-2011, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(सुशील पटनायक)
अपर सचिव

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2011-12 अनुदान संख्या-27 राजस्व लेखा आयोजनेत्तर पक्ष

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4		5	6	7	8
1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-सामान्य अधिष्ठान					2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-सामान्य अधिष्ठान			क-आवश्यकता न होने के कारण बचत।
	03-महंगाई भत्ता	600000	522306	63694	14000	01-वेतन	41700	1141700	586000	ख-आवश्यकता होने के कारण
	06-अन्य भत्ते	107800	69304	10796	27700				80100	
योग		707800	591610	74490	41700		41700	1141700	666100	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है.

(सुशील पटनायक)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या- 233(N)/XXVII(4)/2011 दिनांक 19 फरवरी 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या- 553 (2)/X-2-2011-12(13)/2011 दिनांक 19 मार्च फरवरी, 2012

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

आज्ञा से,

(सुशील पटनायक)
अपर सचिव